न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 62/2020 अपील/डूंगरपुर (GCMS 2020/00066)
पंजीयन दिनांक– 05.10.2020
निर्णय दिनांक– 23.12.2020

श्रीमती शांता देवी पत्नि पूनमचंद लबाना, निवासी न्यू कॉलोनी, डूंगरपुर, तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....अपीलान्ट/अप्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी

अधिवक्ता :

श्री संजय बोहरा	:	अधिवक्ता अपीलान्ट
राजकीय अभिभाषक	:	रेस्पोडेंटस संख्या–2

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 08/2019
निर्णय दिनांक 19.08.2020

निर्णय

दिनांक– 23.12.2020

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 08/2019 निर्णय दिनांक 19.08.2020 के विरूद्ध दिनांक 05.10.2020 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर डूंगरपुर द्वारा वर्ष 2010 में अपीलाण्ट को 10 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया, जिसे तहसीलदार द्वारा 2 वर्ष के भीतर उद्योग स्थापित नहीं किये जाने के आवेदन के आधार पर वर्ष 2013 में जिला कलक्टर ने उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया, जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में वर्ष 2013 में किये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2013 में ही अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर मियाद बढ़ाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः वर्ष 2014 में आवंटन निरस्त कर दिया गया। वर्ष 2014 के उक्त आवंटन निरस्ती के विरूद्ध पुनः प्रकरण रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः अपने निर्णय दिनांक 22.03.2018 से पूर्व आवंटन निरस्ती के आदेश को बहाल रखा, जिसकी अपील पुनः राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में वर्ष 2018 में ही प्रस्तुत की गयी, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 15.05.2019 को अवधि वृद्धि हेतु निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। उक्त प्रतिप्रेषण आदेशों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 08/2019 निर्णय दिनांक 19.08.2020 से पुनः आवंटन निरस्ती आदेश को यथावत् रखा। आवंटन निरस्ती आदेश को यथावत रखने के दिये गये आदेश से अप्रसन्न/असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.08.2020 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया *"हमारे द्वारा पक्षकारों की रिमाण्ड बिन्दुओं पर की गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं आवंटन पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया।*

रेस्पोडेंट की भूमि आवंटन पत्रावली एवं बहस के तथ्यों से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट को ग्राम लक्ष्मणपुरा की आराजी नम्बर 806/760 रकबा 10.00 बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ (रोलर फ्लोर मील ईकाई वेयर हाउस) स्थापना हेतु जिला कलक्टर, डूंगरपुर के आदेश क्रमांक 6400–07 दिनांक 28.10.2010 द्वारा आवंटित की गई। रेस्पोडेंट को

उक्त औद्योगिक ईकाई हेतु भूमि का कब्जा दिनांक 02.11.2010 को सुपूर्द किया गया। रेस्पोडेंट को विवेचित भूमि का कब्जा सुपूर्दगी दिनांक से 2 वर्ष अवधि तक भूमि आवंटन शर्तो की पालना में जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गई थी, उस प्रयोजन हेतु उद्योग स्थापित नहीं करने से 2 वर्ष की कालावधि गुजरने के उपरांत जिला कलक्टर, डूंगरपुर के आदेश क्रमांक 1039–45 दिनांक 08.04.2013 द्वारा रेस्पोडेंट को आवंटित भूमि प्रत्यावर्तित (Revert) *की गई। रेस्पोडेंट द्वारा भूमि आवंटन निरस्ती के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1039–45 दिनांक 08.04.2013 को अपास्त कर रेस्पोडेंट को सुनकर एवं प्रकरण की पूर्ण जांच कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया। प्रकरण इस न्यायालय में पुनः दर्ज कर रेस्पोडेंट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 04/20174 निर्णय दिनांक 15.10.2014 द्वारा जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा औद्योगिक विवेचित भूमि आवंटन निरस्ती आदेश को उचित माना जाकर प्रकरण निर्णित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा इस न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 15.10.2014 से असंतुष्ट होकर राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में पुनः अपील प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 05/2014 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.10.2014 को अपास्त कर रेस्पोडेंट को सुनवाई का अवसर देकर मयाद वृद्धि के प्रकरण में समुचित कार्यवाही के निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया गया। उक्त निर्णय के संदर्भ में प्रकरण इस न्यायालय में पुनः दर्ज कर रेस्पोडेंट को पुनः सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के मुताबिक रेस्पोडेंट उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर कब्जा सुपूदर्गी दिनांक 02.11.2010 से दो वर्ष की अवधि में उद्योग स्थापित करने में विफल रहने तथा आवंटी द्वारा निर्धारित मयाद बढाने*

का कोई आवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.03.2018 द्वारा रेस्पोडेंट को औद्योगिक आवंटित भूमि की निरस्ती आदेश दिनांक 08.04.2013 को यथावत रखा गया। रेस्पोडेंट द्वारा उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर पुनः न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील पेश की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के प्रकरण संख्या 03/2018 में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2019 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.03.2018 को अपास्त कर मयाद वृद्धि के प्रकरण में सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ पुनः रिमाण्ड किया गया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने नियमों में प्रावधित समय सीमा बढाने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए विवेचित आवंटन के आवंटी की सुनवाई कर समुचित आदेश देने रिमाण्ड निर्देश दिये है। प्रकरण में यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि राजस्थान भू–राजस्व (औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1959 की धारा 7 में अधिसूचना क्रमांक F.11 (11)Rev-6/2002/8 *दिनांक 28.02.2003 में यह प्रावधान किया है कि यदि कोई निर्धारित समयावधि 2 वर्ष भीतर आवंटित प्रपज का उद्योग लगाने में असफल रहता है तो इस समयावधि के भीतर उद्योग नहीं लगा पाने के कारणों का उल्लेख मय दस्तावेजों साक्ष्य के आवंटी स्वयं संभागीय आयुक्त, उदयपुर को अवधि बढाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा। जिस पर संभागीय आयुक्त समुचित जांच व प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को अपनी टिप्पणी भिजवायेंगे। विवेचित मामले में आवंटी द्वारा आवंटन की कब्जा सुपूर्दगी दिनांक 02.11.2010 से दो वर्ष की अवधि दिनांक 01.11.2012 को समाप्त हुई है। आवंटी द्वारा इस अवधि के भीतर सक्षम अधिकारी को अवधि बढाने कोई प्रार्थना पत्र देरी के समुचित कारणों व मय साक्ष्य के प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया। अतः नियमों में प्रावधान प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की जाने से आवंटन अधिकारी अपने स्तर से अवधि बढाने हेतु सक्षम नहीं है। विपक्षी इन नियमों के सेक्शन–7 के तहत संभागीय आयुक्त को अवधि बढाने हेतु स्वतंत्र है। यह पूर्व के निर्णयों में*

भी स्पष्ट हो चुका है कि आवंटी द्वारा इन नियमों के सेक्शन–7 की पालना में निर्धारित दो वर्ष की अवधि में आवंटित प्रपज के अनुरूप उद्योग लगाने में असफल रहे हैं, जिससे तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा आदेश क्रमांक 1039–45 दिनांक 08.04.2013 द्वारा रेस्पोडेंट को उक्त प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन निरसती आदेश में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तत्कालीन जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा कार्यालय के आदेश क्रमांक 1039–45 दिनांक 08.04.2013 द्वारा रेस्पोडेंट को उक्त प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन निरस्ती आदेश को यथावत रखने आदेश दिये जाते"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री एस. एल. बोहरा उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। उभय पक्षों की बहस दिनांक 27.11.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में बताया कि औद्योगिक आवंटित भूमि का भौतिक रूप से मौके पर कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया है। उक्त आवंटित भूमि की लीज डीड दिनांक 10.12.2020 को संपादित किये जाने के कारण अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा उद्योग स्थापित करने की आवंटन शर्तो के अनुसार 2 वर्ष की कालावधि के भीतर सक्षम अधिकारी को पेश किया गया है। वकील अपीलांट/अप्रार्थी ने यह तथ्य भी प्रकट किये कि आवंटी द्वारा आवंटित प्रयोजन उद्योग स्थापित करने हेतु बिजली कनेक्शन के लिये आवेदन किया, किन्तु समयावधि में विद्युत कनेक्शन न मिलने तथा बैंक ऋण प्राप्त करने स्वीकृति की कार्यवाही में विलम्ब होने से निर्धारित अवधि में उद्योग स्थापित की पूर्ण मंशा रही है। जिसमें केवल भूमि आवंटन तिथि से 2 वर्ष की अवधि आवंटन शर्तो के अनुसार मानी जाना उचित नही है।

वकील अपीलांट/अप्रार्थी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 15.05.2019 में दिये गये तर्को अनुरूप औद्योगिक प्रयोजन आवंटन नियम 1959 के नियम 7 के तहत मयाद बढाने की समुचित कार्यवाही उचित है। आवंटी द्वारा अवधि आवंटन शर्तो की पालना हेतु एक वर्ष की अवधि बढाने हेतु निवेदन अनुरोध कर अपीलांट/अप्रार्थी को किया गया औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन को निरस्त किये गये आदेश को अपास्त करने तथा अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट/अप्रार्थी को जिला कलक्टर, डूंगरपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/आवंटन/2010/6400–07 दिनांक 28.10.2010 द्वारा ग्राम लक्ष्मणपुरा की आराजी नम्बर 806/760 रकबा 50.00 बीघा में से 10.00 बीघा भूमि औद्योगिक (रोलर फ्लोर मील ईकाई मय वेयर हाउस) प्रयोजनार्थ आवंटन की गई है तत्पश्चात दिनांक 02.11.2010 को तहसलीदार, डूंगरपुर द्वारा आवंटित भूमि का अपीलांट/अप्रार्थी को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया। अपीलांट/अप्रार्थी को कब्जा सुपुर्द करने के पश्चात उनके द्वारा दो वर्ष की कालावधि में आवंटित प्रयोजन उद्योग की स्थापना कर उद्योग ईकाई से उत्पादन प्रारंभ नही किया है। आवंटन शर्तो के अनुसार अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा निर्धारित अवधि में मयाद बढाने का कोई आवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट/अप्रार्थी उद्योग स्थापित कर उत्पादन करने में अभिरूचि नहीं रखना पाया गया। अपीलांट/अप्रार्थी को आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्दगी दिनांक 02.11.2010 से 2 वर्ष के भीतर उचित कारण दर्शाकर सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने से औद्योगिक प्रयोजनार्थ उक्त भूमि आवंटन खाजिर करने का अनुरोध करते हुए अपील अपील अपीलांट खारिज फरमाने का निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि उक्त

अपीलाधीन आवंटन आराजी नं0 806/760 रकबा 10 बीघा दिनांक 28.10.2010 को किया गया है। उक्त आवंटन आदेश की पालना में अपीलाण्ट को भूमि का कब्जा दिनांक 02.11.2010 को सुपुर्द किया गया है तथा लीज डीड दिनांक 30.11.2010 को निष्पादित हुई है, जिसका पंजीयन दिनांक 16.12.2010 को लीज डीड निष्पादित हुई है। उक्त आवंटन आदेश के सन्दर्भ में तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर शर्त संख्या 3 व 7 के प्रावधानों अनुसार दो वर्ष में उद्योग स्थापित नहीं करने के आधार पर दिनांक 01.11.2012 को अपीलाण्ट को आवंटन निरस्ती का नोटिस जारी किया गया है जिसकी पालना में 05.11.2012 को अपीलाण्ट द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर चाहा है तथा दिनांक 10.12.2012 को उसके द्वारा बैंक में ऋण हेतु एवं बिजली विभाग में बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया है तथा मशीनरी क्रय करने के लिए एवं बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन लम्बित होने के आधार पर उद्योग शीघ्र ही प्रारम्भ करने एवं मियाद बढ़ाने का आग्रह किया है साथ में दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.04.2013 में अपीलाण्ट का आवंटन दो वर्ष की अवधि में उद्योग स्थापित नहीं करने के आधार पर आवंटन निरस्त करने का आदेश पारित किया है। उक्त आवंटन निरस्ती आदेश की प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण संख्या 4/2013 के रूप में हुई है, जिसमें अपीलीय न्यायालय के न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.11.2013 से यह अंकन किया है कि अपीलाण्ट द्वारा पर्याप्त कारणों से अवगत करा मियाद बढ़ाने हेतु निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर ध्यान नहीं दिया अतएवं पुनः सुनवाई के लिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 4/2013 में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2013 की पालना में अपने प्रकरण संख्या 1/2014 निर्णय दिनांक 15.10.2014 से अपीलाण्ट का आवंटन इस आधार पर खारिज कर दिया है कि अपीलाण्ट ने अवधि बढ़ाने का आवेदन दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय के

उक्त निर्णय दिनांक 15.10.2014 की अपील पुनः राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में प्रकरण संख्या 5/2014 के रूप में किये जाने पर राजस्व अपील अधिकारी के अपीलीय न्यायालय जिसमें अधोहस्ताक्षरकर्ता ही पीठासीन अधिकारी थे, उनके द्वारा निम्नानुसार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है –

> **"वस्तुतः इस न्यायालय द्वारा पूर्व में आवंटन आदेश निरस्त करते हुए मियाद वृद्धि के बिन्दु पर सुनवाई के लिए ही प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था, क्योंकि पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में मियाद वृद्धि पर सुनवाई नहीं हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहना कि इस अपीलीय न्यायालय द्वारा गलत उल्लेख किया गया है, यह न तो विधिक है न ही उचित तथा रेकार्ड अनुसार भी उचित नहीं है। वहीं ठीक 2 वर्ष 2 दिन बाद ही औचित्यपूर्ण प्रयासों के साथ जबाब प्रस्तुत करने व साक्ष्य करने के बावजूद कीमतन किये गये आवंटन को जो कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ है तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ उद्यमियों को प्रोत्साहित किये जाने के स्थान पर आवंटन सरसरी तौर पर उद्यमियों के सद्भावी कठिनाई को दृष्टिगत रखे बिना आवंटन निरस्त किया जाना उचित नहीं है। अतएवं उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेश प्रथम दृष्टया उचित नहीं होने के कारण ही इस न्यायालय द्वारा अपास्त कर मियाद वृद्धि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित नियमों के नियम 7 की त्रुटिपूर्वक व्याख्या की है कि मियाद वृद्धि का आवेदन मियाद पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। हालांकि नियमों में इस बाबत् ऐसा प्रावधान नहीं है कि मियाद वृद्धि के बाद ऐसे मियाद वृद्धि आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा मियाद वृद्धि के संबंध में संभागीय आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाना होता है, राज्य सरकार स्तर पर इसका निर्णय किया जाना होता है।**

हम इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपरोक्त विवेचनानुसार त्रुटिपूर्ण पाते हैं, तद्नुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्तीकरण तथा मियाद वृद्धि के निषेध आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में राज्य सरकार की मंशा अनुरूप उद्यमियों को प्रोत्साहन देने, रोजगार वृद्धि के दृष्टिकोण में तथा राष्ट्र विकास के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देकर मियाद वृद्धि के प्रकरण में समुचित कार्यवाही करें।''

अपीलीय न्यायालय के प्रकरण संख्या 5/2014 के निर्णय दिनांक 05.12.2016 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 4/2017 निर्णय दिनांक 22.03.2018 से मूलतः 2 वर्ष की अवधि बाद आवेदन देने एवं आवंटी के पति द्वारा न्यायालय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के आधार पर पुनः आवंटन निरस्ती का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 22.03.2018 की अपील पुनः राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में किये जाने पर राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 3/2018 में अपने निर्णय दिनांक 15.05.2019 से प्रकरण पूर्वानुसार ही सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया। अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2019 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः अपने प्रकरण संख्या 8/2019 निर्णय दिनांक 19.08.2020 द्वारा 2 वर्ष की अवधि के बाद संभागीय आयुक्त को अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए आवंटन निरस्ती का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त प्रकरण संख्या 8/2019 निर्णय की अपील अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय में वर्तमान अपील 62/2020 के रूप में दिनांक 05.10.2020 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि वर्ष 2010 में दिनांक 28.10.2010 को किये गये आवंटन आदेश जिसका कब्जा दिनांक 02.11.2010 को

सुपुर्द किया गया है तथा जिसकी लीज डीड दिनांक 16.12.2010 को निष्पादित हुई है, उसके आवंटन निरस्तीकरण का नोटिस दिनांक 01.11.2012 को ही जारी कर दिया है, अर्थात् जब भूमि का कब्जा ही दिनांक 02.11.2010 को सुपुर्द किया गया है तथा दिनांक 01.11.2012 को उक्त 2 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं होती, साथ ही विधिक दस्तावेज लीज का निष्पादन भी दिनांक 16.12.2010 को हुआ है, जिससे 2 वर्ष की अवधि दिनांक 16.12.2012 को पूर्ण होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय के 3 बार सुव्यक्त प्रतिप्रेषण आदेशों के बावजूद भी अपीलाण्ट के औचित्यपूर्ण आधारों पर पूर्ण सुनवाई एवं विचार किये बिना पुनः निर्णय पारित किया है। विशेष रूप से 2 वर्ष की अवधि भी पूर्ण नहीं होती। हम यहां प्रासांगिक अपील जिसमें मूलतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.08.2020 के सन्दर्भ में विवेचन करे तो यह प्रकट आता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूलतः 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होना मानकर 2 वर्ष की अवधि के बाद उक्त प्रकरण में संभागीय आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को आवेदन किये जाने का उल्लेख करते हुए अपना निर्णय दिनांक 19.08.2020 को पारित किया है। वस्तुतः विधिक आवंटन लीज डीड निष्पादन के 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं जैसाकि हमारे द्वारा उपर विवेचन किया गया है। इससे भी अलग यदि हम नियमों के सन्दर्भ में विवेचन करें तो राजस्थान औद्योगिक भूमि आवंटन नियम 1959 के नियम 7 को दिनांक 02.01.2018 को निम्नानुसार संशोधित किया जा चुका है –

"7. Setting up of industry :- (1) Industry shall be set within a period of two years from the date of allotment of land:

Provided that the allotting authority may, on the application of allottee, extend the period of setting up of industry upto two years. If allottee fails to use of land within such extended period, the allotting authority may on application of allottee refer the matter to the State Government for extension of above period. The STate Government may extent the above period in appropriate cases.

(2) If the land is not used within the stipulated period of time extended as per provisions of sub-rule(1), the land shall revert back to the State Government free from all encumbrances,"

यह संशोधन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.08.2020 से पूर्व ही किया जा चुका है तथा इसमें संभागीय आयुक्त द्वारा अवधि वृद्धि के प्रस्ताव को भिजवाये जाने के स्थान पर यह विवेचन किया गया है कि यदि 2 वर्ष की अवधि में उद्योग स्थापित नहीं होता है तो आवंटन अधिकारी आवंटी के आवेदन पर 2 वर्ष तक उद्योग स्थापना की अवधि को वृद्धि कर सकेंगे तथा इस 2 वर्ष की अवधि विस्तारण में भी यदि उद्योग स्थापित नहीं होता है तो आवंटन अधिकारी ही अवधि वृद्धि के लिए प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संभागीय आयुक्त के माध्यम से आवेदन भेजे जाने का निर्णय संशोधन नियम को ध्यान में नहीं रखकर पारित किया है। उक्त नियमों के नियम 7 में दिनांक 02.01.2018 को किये गये संशोधन का मौलिक आशय उद्योग प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के सन्दर्भ में सद्भावी कारणों को ध्यान में रखते हुए उद्योग स्थापना के लिए 2 वर्ष की अवधि स्वयं के स्तर पर बढाने एवं उसके बाद भी यदि उद्योग नहीं लगाता तो पुनः प्रकरण राज्य सरकार का प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अपीलीय न्यायालय द्वारा 3 बार प्रतिप्रेषण आदेशों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, यह निर्णय दिनांक 02.01.2018 के संशोधन आदेश की रोशनी में औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलाण्ट द्वारा दिये गये आधारों पर पूर्ण विचार करते हुए अवधि वृद्धि बाबत् अपने स्तर पर विचार करें अथवा अपनी सुव्यक्त टिप्पणी के साथ प्रकरण राज्य सरकार को अग्रेषित करें ताकि उक्त प्रकरण पर किसी नातिक निर्णय पर पहुंचा जा सकें।

उपरोक्त समग्र विवेचन के साथ अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण

अधीनस्थ न्यायालय को हमारी उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाण्ट को सुनकर तथा संशोधित नियमों के आधार पर प्रकरण में पुनः विधिपूर्ण निर्णय पारित करने प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 18.02.2021 को उपस्थित होवें।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर